

भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग II – खंड 1
प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

संख्या 36 | नई दिल्ली, शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2008 / अग्रहायण 14, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर, 2008 / अग्रहायण 14, 1930 (शक)

निम्नलिखित संसद अधिनियम को 5 दिसंबर, 2008 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है और इसे सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008

संख्या 27 of 2008

(5 दिसंबर, 2008)

एक अधिनियम, जिसके द्वारा भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण की स्थापना की व्यवस्था की जाए ताकि हवाई अड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य शुल्कों का विनियमन किया जा सके, हवाई अड्डों के प्रदर्शन मानकों की निगरानी की जा सके, तथा विवादों का निर्णय और अपीलों का निपटारा किया जा सके।

यह संसद द्वारा भारतीय गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाता है:—

अध्याय I – प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का नाम **भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008** होगा।

(2) यह उस तिथि से लागू होगा जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे।

(3) यह लागू होगा:

(a) सभी हवाई अड्डों पर जहाँ वायु परिवहन सेवाएँ संचालित हैं या संचालित किए जाने का इरादा है, सिवाय उन हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों के जो संघ के सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों के स्वामित्व में हैं या उनके नियंत्रण में हैं।

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(a) “वैमानिकी सेवा (aeronautical service)” से अभिप्राय किसी भी ऐसी सेवा से है जो प्रदान की जाती है:

(i) विमान में यात्रियों और माल के चढ़ने (embarkation) या उतरने (disembarkation) के लिए;

(ii) किसी हवाई अड्डे पर विमान परिचालन के लिए;

(iii) वायु यातायात सेवाएँ, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ, कार्गो हैंडलिंग सेवाएँ, यात्री सुविधा सेवाएँ, या किसी हवाई अड्डे पर विमान परिचालन से संबंधित कोई अन्य सेवा; और

(iv) ऐसी कोई अन्य सेवा जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा वैमानिकी सेवाओं के संबंध में शुल्क लगाए जाने हेतु विनिर्दिष्ट किया जाए।

(b) “हवाई अड्डा (airport)” से अभिप्राय किसी ऐसे स्थान से है जहाँ विमान उतरते और उड़ान भरते हैं, तथा इसमें विमानक्षेत्र (aerodromes) और विमानन परिचालनों के लिए प्रयुक्त संबद्ध अवसंरचना एवं सुविधाएँ शामिल हैं।

(c) “हवाई अड्डा उपयोगकर्ता (airport user)” से अभिप्राय किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो हवाई अड्डा सेवाओं का उपयोग करता है या उपयोग करने का इरादा रखता है, जिसमें यात्री और कार्गो ऑपरेटर शामिल हैं।

(d) “अपील अधिकरण (Appellate Tribunal)” से अभिप्राय धारा 17 के अंतर्गत स्थापित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण से है।

(e) “प्राधिकरण (Authority)” से अभिप्राय धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण से है।

(f) “अध्यक्ष (Chairperson)” से अभिप्राय धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष से है।

(g) “पट्टे पर दिया गया हवाई अड्डा (leased airport)” से अभिप्राय ऐसे हवाई अड्डे से है जिसके संबंध में संचालन और प्रबंधन केंद्रीय सरकार या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से किसी निजी इकाई को पट्टा, रियायत (concession) या समान व्यवस्था के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया हो।

(h) “प्रमुख हवाई अड्डा (major airport)” से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 2(i) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हवाई अड्डे से है।

(i) “सदस्य (Member)” से अभिप्राय प्राधिकरण के किसी सदस्य से है तथा इसमें अध्यक्ष भी शामिल है।

(j) “निर्धारित (prescribed)” से अभिप्राय इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है।

(k) “निजी हवाई अड्डा (private airport)” से अभिप्राय ऐसे हवाई अड्डे से है जिसका स्वामित्व, संचालन या प्रबंधन किसी निजी इकाई द्वारा किया जाता है।

(l) “सेवा प्रदाता (service provider)” से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो वैमानिकी सेवाएँ प्रदान करता है या हवाई अड्डा संचालन का प्रबंधन करता है, जिसमें ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो हैंडलिंग और हवाई अड्डे पर संबंधित सेवाएँ शामिल हैं।

(m) “हितधारक (stakeholder)” से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति या इकाई से है जो हवाई अड्डा सेवाओं से प्रभावित होता है, जिसमें एयरलाइंस, यात्री, कार्गो ऑपरेटर और सेवा प्रदाता शामिल हैं।

इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उन्हें एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम, 1994 में क्रमशः दिया गया है।

अध्याय II

एयरपोर्ट आर्थिक नियामक प्राधिकरण

3. प्राधिकरण की स्थापना

(1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से तीन माह के भीतर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक प्राधिकरण स्थापित करेगी जिसे एयरपोर्ट आर्थिक नियामक प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा, जो इस अधिनियम के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसे सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगा।

(2) यह प्राधिकरण एक निकाय निगम होगा, जिसमें शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा (कॉमन सील) होगी, तथा उसे चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और निपटाने तथा अनुबंध करने की शक्ति होगी, और वह अपने उक्त नाम से वाद कर सकेगा और उस पर वाद किया जा सकेगा।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे।

4. प्राधिकरण का गठन

(1) प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य होंगे जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु यह कि जब भी प्राधिकरण किसी रक्षा हवाई क्षेत्र में स्थित किसी परिसर से संबंधित मामले का निर्णय कर रहा हो, तब रक्षा मंत्रालय द्वारा नामित एक अतिरिक्त सदस्य होगा, जो भारत सरकार के अपर सचिव के पद से नीचे का न हो।

(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिनमें क्षमता, सत्यनिष्ठा तथा प्रतिष्ठा हो तथा जिन्हें विमानन, अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य या उपभोक्ता मामलों में पर्याप्त ज्ञान एवं व्यावसायिक अनुभव हो:

परन्तु यह कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में है या रहा है, उसे सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसने भारत सरकार में सचिव या अपर सचिव का पद अथवा केंद्र या राज्य सरकार में समकक्ष पद कम से कम तीन वर्ष तक धारण न किया हो।

(3) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे।

(4) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।

(5) अध्यक्ष प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी होगा।

(6) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य चयन समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जिसका उल्लेख धारा 5 में किया गया है।

5. चयन समिति

(1) केंद्रीय सरकार, धारा 4 की उपधारा (6) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित सदस्यों की एक चयन समिति का गठन करेगी, अर्थात्—

- (क) कैबिनेट सचिव – अध्यक्ष;
- (ख) नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव – सदस्य;
- (ग) विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के सचिव – सदस्य;
- (घ) रक्षा मंत्रालय के सचिव – सदस्य;
- (ङ) नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा नामित एक विशेषज्ञ – सदस्य।

(2) केंद्रीय सरकार किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण उत्पन्न रिक्ति की तिथि से एक माह के भीतर तथा अध्यक्ष या किसी सदस्य के सेवानिवृत्ति या कार्यकाल पूर्ण होने से छह माह पूर्व, ऐसी रिक्ति को भरने हेतु चयन समिति को संदर्भ भेजेगी।

(3) चयन समिति संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर चयन प्रक्रिया पूर्ण करेगी।

(4) चयन समिति प्रत्येक रिक्ति के लिए दो नामों का एक पैनल अनुशंसा करेगी।

(5) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की अनुशंसा करने से पूर्व चयन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि उस व्यक्ति का कोई वितीय या अन्य हित नहीं है जो उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो।

6. अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल

(1) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य उस तिथि से, जिस दिन वे अपना पद ग्रहण करते हैं, पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, किन्तु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(2) अध्यक्ष के मामले में अधिकतम आयु सीमा पैंसठ वर्ष होगी।

(3) किसी अन्य सदस्य के मामले में अधिकतम आयु सीमा बासठ वर्ष होगी।

(4) कोई सदस्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा; तथापि, जो व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुका है, वह सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

7. वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें

(1) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जाएँ।

(2) नियुक्ति के पश्चात अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के वेतन, भत्तों एवं सेवा की अन्य शर्तों में उनके हित के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

- (3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या सदस्य—
(क) अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में केंद्रीय सरकार को संबोधित कर अपना पद त्याग सकता है; या
(ख) धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार अपने पद से हटाया जा सकता है।

अयोग्यताएँ

- (4) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद से हटने के पश्चात—
(क) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार की पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;
(ख) पद छोड़ने के पश्चात दो वर्ष की अवधि तक कोई वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण

इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

- (क) “केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन रोजगार” में किसी भी निगम, कंपनी या सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निकाय के अधीन रोजगार भी सम्मिलित होगा;
(ख) “वाणिज्यिक रोजगार” का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन या उसकी एजेंसी में किसी भी क्षमता में रोजगार है जो व्यापारिक, औद्योगिक या वित्तीय व्यवसाय में संलग्न हो, जिसमें कंपनी का निदेशक या प्रबंधक शामिल है, चाहे वह सशुल्क हो या बिना वेतन के।

8. अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जाना

(1) केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है यदि वह अध्यक्ष या सदस्य—

- (क) दिवालिया घोषित किया गया हो; या
(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ हो जिसमें, केंद्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता शामिल हो; या
(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो; या
(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो जिससे उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

8. अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाया जाना

(1) किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से केवल केंद्रीय सरकार के आदेश द्वारा हटाया जाएगा, और वह भी केवल सिद्ध कदाचार (proved misbehaviour) या अयोग्यता (incapacity) के आधार पर।

परन्तु यह कि केंद्रीय सरकार ऐसे आदेश को पारित करने से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जाँच (inquiry) करेगी और उस जाँच के आधार पर यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगी कि अध्यक्ष या सदस्य को उक्त आधार पर हटाया जाना चाहिए।

(2) केंद्रीय सरकार ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकती है, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अंतर्गत जाँच प्रारंभ की गई हो या लंबित हो, जब तक कि केंद्रीय सरकार उस जाँच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश पारित नहीं कर देती।

9. सचिव एवं स्टाफ की नियुक्ति

(1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन कार्यों के निष्पादन हेतु एक सचिव नियुक्त कर सकती है।

(2) प्राधिकरण ऐसे अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु आवश्यक समझे।

(3) सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जाएँगी।

(4) प्राधिकरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे विशेषज्ञों एवं पेशेवरों को नियुक्त कर सकता है, जो ईमानदार एवं उत्कृष्ट क्षमता वाले हों तथा जिनके पास विमानन से संबंधित अर्थशास्त्र, विधि, व्यवसाय या अन्य विषयों में विशेष ज्ञान एवं अनुभव हो, ताकि वे प्राधिकरण को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता प्रदान कर सकें।

10. प्राधिकरण की बैठकें

(1) प्राधिकरण अपनी बैठकों के स्थान एवं समय तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया (जिसमें गणपूर्ति भी शामिल है) ऐसे नियमों के अनुसार निर्धारित करेगा जो विनियमों द्वारा तय किए जाएँगे।

(2) प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा। यदि किसी कारणवश अध्यक्ष बैठक में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उपस्थित सदस्यों में से कोई अन्य सदस्य जिसे सदस्य आपस में चुनें, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) प्राधिकरण की किसी भी बैठक में उठने वाले सभी प्रश्न उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तय किए जाएँगे, और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को निर्णायक मत (casting vote) का अधिकार होगा।

(4) अन्यथा उपबंधित न होने पर प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त होगा।

11. आदेशों का प्रमाणीकरण

प्राधिकरण के सभी आदेश एवं निर्णय सचिव या प्राधिकरण द्वारा इस हेतु अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे।

12. कार्यवाहियों की वैधता

प्राधिकरण की किसी भी कार्यवाही को केवल निम्न कारणों से अवैध नहीं माना जाएगा—

- (क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति या गठन में कोई त्रुटि; या
- (ख) किसी सदस्य की नियुक्ति में कोई दोष; या
- (ग) मामले के गुण-दोष को प्रभावित न करने वाली प्रक्रिया संबंधी कोई अनियमितता।

अध्याय III – प्राधिकरण के कार्य

13. प्राधिकरण के कार्य

(1) प्राधिकरण प्रमुख हवाई अड्डों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्—

(क) विमानन सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण करना, जिसमें निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा—

(i) पूँजीगत व्यय (capital expenditure) और हवाई अड्डा सुविधाओं के सुधार में समयानुसार किया गया निवेश;

13. प्राधिकरण के कार्य

(1) प्राधिकरण प्रमुख हवाई अड्डों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्—

(क) विमानन सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण करना, जिसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा:

(i) वह पूँजीगत व्यय जो किया गया है तथा हवाई अड्डा सुविधाओं के सुधार हेतु समय पर किया गया निवेश;

(ii) दक्षता (efficiency) में सुधार हेतु लागत;

(iii) प्रमुख हवाई अड्डों का आर्थिक एवं व्यवहार्य संचालन;

(iv) विमानन सेवाओं के अतिरिक्त सेवाओं से प्राप्त राजस्व;

(v) केंद्रीय सरकार द्वारा किसी समझौते या सहमति ज्ञापन में दी गई रियायतें;

(vi) कोई अन्य कारक जो इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु प्रासंगिक हो:

परन्तु यह कि विभिन्न हवाई अड्डों के लिए अलग-अलग टैरिफ संरचनाएँ निर्धारित की जा सकती हैं, उपर्युक्त उप-खंड (i) से (vi) में निर्दिष्ट किसी भी विचार को ध्यान में रखते हुए;

(ख) प्रमुख हवाई अड्डों के संबंध में विकास शुल्क (development fee) की राशि निर्धारित करना;

(ग) विमान नियम, 1937 या विमान अधिनियम, 1934 के अंतर्गत बनाए गए संबंधित नियमों के अधीन लगाए जाने वाले यात्री सेवा शुल्क (passenger service fee) की राशि निर्धारित करना;

(घ) सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित प्रदर्शन मानकों की निगरानी करना, जैसा कि केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए;

(ङ) उप-खंड (क) के अंतर्गत टैरिफ निर्धारित करने हेतु आवश्यक कोई भी सूचना मांगना;

(च) टैरिफ से संबंधित ऐसे अन्य कार्य करना जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएँ या जो इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हों।

(2) टैरिफ समीक्षा

प्राधिकरण प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार टैरिफ निर्धारित करेगा और यदि उपयुक्त समझा जाए तथा जनहित में हो, तो उक्त पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समय-समय पर उसमें संशोधन कर सकता है।

(3) प्रतिबंध एवं सुरक्षा उपाय

उपधारा (1) के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन में प्राधिकरण निम्नलिखित के हितों के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा:

भारत की संप्रभुता और अखंडता;
राज्य की सुरक्षा;
विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध;
लोक व्यवस्था;
शिष्टाचार या नैतिकता।

(4) पारदर्शिता

प्राधिकरण अपने अधिकारों का प्रयोग तथा कार्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, विशेष रूप से—

- (क) सभी हितधारकों के साथ उचित परामर्श करके;
- (ख) हितधारकों को अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देकर; तथा
- (ग) अपने सभी निर्णयों को पूर्ण रूप से अभिलिखित एवं तर्कसंगत (reasoned) बनाकर।

14. सूचना मांगने एवं जांच करने की शक्ति

(1) जहाँ प्राधिकरण उचित समझे, वह लिखित आदेश द्वारा—

- (क) किसी भी सेवा प्रदाता को किसी भी समय उसके कार्यों से संबंधित ऐसी सूचना या

स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, जो उसके प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु आवश्यक हो; तथा

(ख) अपने किसी अधिकारी या कर्मचारी को किसी सेवा प्रदाता की लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने का निर्देश दे सकता है।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अंतर्गत किसी सेवा प्रदाता के कार्यों के संबंध में कोई जांच की गई हो, वहाँ—

(क) यदि सेवा प्रदाता कोई सरकारी विभाग है, तो उस विभाग का प्रत्येक अधिकारी; या

(ख) यदि सेवा प्रदाता कोई कंपनी है, तो उसके प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी; या

(ग) कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिनका ऐसे सेवा प्रदाता के साथ व्यापार के दौरान लेन-देन रहा हो,

ऐसे सभी व्यक्ति उस जांच के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा आवश्यक सूचना देने के लिए बाध्य होंगे।

अपने कब्जे या अधिकार में कोई अन्य दस्तावेज, जो ऐसी जांच के विषय से संबंधित हो या उस पर प्रभाव डालता हो, प्रस्तुत करना होगा, तथा प्राधिकरण को ऐसी किसी भी प्रकार की विवरणी या सूचना, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट समय के भीतर उपलब्ध करानी होगी।

(3) प्रत्येक सेवा प्रदाता ऐसे लेखा पुस्तकों (books of account) या अन्य दस्तावेजों का संधारण करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति होगी, जिन्हें वह सेवा प्रदाताओं के समुचित कार्यकरण हेतु आवश्यक समझे।

प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए समय-समय पर सेवा प्रदाताओं को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

प्राधिकरण या इस संबंध में उसके द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी किसी भी भवन या स्थान में प्रवेश कर सकता है, जहाँ प्राधिकरण को यह विश्वास करने का कारण हो कि जांच के विषय से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध है, तथा वह ऐसे किसी दस्तावेज को जब्त कर सकता है या उसकी प्रतियां ले सकता है, बशर्ते कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के प्रावधान जहाँ तक लागू हों, उनका पालन किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक अपीलीय अधिकरण स्थापित करेगी, जिसे एयरपोर्ट्स आर्थिक नियामक प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण कहा जाएगा, जिसका कार्य होगा—

(i) किसी विवाद का निर्णय करना—

(क) दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच; या

(ख) किसी सेवा प्रदाता तथा उपभोक्ताओं के किसी समूह के बीच:

परन्तु यह कि अपीलीय अधिकरण यदि उचित समझे तो ऐसे विवाद से संबंधित किसी विषय पर प्राधिकरण की राय प्राप्त कर सकता है।

परन्तु यह भी कि इस खंड की कोई बात उन मामलों पर लागू नहीं होगी—

(i) जो एकाधिकार व्यापार व्यवहार, प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार तथा अनुचित व्यापार व्यवहार से संबंधित हों, और जो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज कमीशन (Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसा कि मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट, 1969 की धारा 5(1) के अंतर्गत स्थापित है;

(ii) जो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की शिकायतों से संबंधित हों, जो उपभोक्ता विवाद निवारण मंच या उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष विचारणीय हों, जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 9 के अंतर्गत स्थापित हैं;

(iii) जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में आते हों;

(iv) जो किसी बेदखली आदेश (eviction order) से संबंधित हों, जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम, 1994 की धारा 28K के अंतर्गत अपील योग्य हो;

(ii) प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी निर्देश, निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना तथा उनका निपटारा करना।

18. अपीलीय अधिकरण में अपील

(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई व्यक्ति अपीलीय अधिकरण के समक्ष धारा 17 के खंड (i) में उल्लिखित किसी विवाद के निर्णय हेतु आवेदन कर सकता है।

(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या कोई भी व्यक्ति, जो प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्देश, निर्णय या आदेश से व्यथित है, अपीलीय अधिकरण में अपील प्रस्तुत कर सकता है।

19. दस्तावेजों एवं निरीक्षण से संबंधित शक्तियाँ (आपके पाठ से पुनः स्थापित)

(1) प्रत्येक सेवा प्रदाता ऐसे लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का संधारण करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

(2) प्राधिकरण अपने कार्यों के निर्वहन हेतु सेवा प्रदाताओं को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जिन्हें वह उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे।

(3) प्राधिकरण या इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी किसी ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश कर सकता है, जहाँ उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि जांच के विषय से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध है, तथा वह ऐसे दस्तावेजों को जब्त कर सकता है या उनकी प्रतियां ले सकता है, बशर्ते कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के प्रावधान जहाँ तक लागू हों, उनका पालन किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण के किसी निर्देश, आदेश या निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से होगी, तथा वह ऐसे रूप में, ऐसे तरीके से सत्यापित (verified) की जाएगी और उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो निर्धारित की जाए।

परन्तु यह कि अपीलीय अधिकरण, उक्त तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी किसी अपील को स्वीकार कर सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

(3) उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन या उपधारा (2) के अंतर्गत अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय अधिकरण संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(4) अपीलीय अधिकरण प्रत्येक आदेश की प्रति विवाद के पक्षकारों या अपील के पक्षकारों तथा यथास्थिति प्राधिकरण को भेजेगा।

(5) उपधारा (1) के अंतर्गत किया गया आवेदन या उपधारा (2) के अंतर्गत प्रस्तुत अपील का निपटारा यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा तथा यह प्रयास किया जाएगा कि आवेदन या अपील का निपटारा प्राप्ति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाए:

परन्तु यह कि जहाँ ऐसा आवेदन या अपील उक्त नब्बे दिनों की अवधि के भीतर निपटाया नहीं जा सका हो, वहाँ अपीलीय अधिकरण उस अवधि के भीतर निपटान न कर पाने के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

(6) अपीलीय अधिकरण, किसी आवेदन (उपधारा (1) के अंतर्गत) या अपील (उपधारा (2) के अंतर्गत) में उठे विवाद की वैधता, औचित्य या शुद्धता की जाँच करने हेतु, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, संबंधित अभिलेख (records) मंगवा सकता है तथा ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(7) अपीलीय अधिकरण में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम दो अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी:

परन्तु यह कि किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी अन्य अधिकरण (Tribunal) में कार्यरत अध्यक्ष या सदस्य, जो उस अधिकरण में भी अध्यक्ष या सदस्य है, उसे इस अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जा सकता है।

(8) अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों का चयन केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित प्रतिनिधि के परामर्श से किया जाएगा।

20. नियुक्ति हेतु अर्हताएँ

कोई व्यक्ति अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि—

(क) अध्यक्ष के मामले में, वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो;

(ख) सदस्य के मामले में, वह भारत सरकार के सचिव या केंद्र अथवा राज्य सरकार में समकक्ष पद पर कम से कम दो वर्ष तक कार्य कर चुका हो, विशेष रूप से विमानन, अर्थशास्त्र या प्रशासन से संबंधित विभागों में, या विमानन, अर्थशास्त्र अथवा विधि के क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखता हो।

21. कार्यकाल

अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष तथा प्रत्येक अन्य सदस्य उस तिथि से पाँच वर्ष से अधिक नहीं होने वाली अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिस दिन वह अपना पद ग्रहण करता है:

परन्तु यह कि कोई भी अध्यक्ष या सदस्य निम्नलिखित आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद पर नहीं रहेगा—

(क) अध्यक्ष के मामले में सत्तर वर्ष;

(ख) अन्य सदस्य के मामले में पैंसठ वर्ष।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जाएँ:

परन्तु यह कि नियुक्ति के पश्चात् अध्यक्ष या सदस्य के वेतन और भत्तों या सेवा की अन्य शर्तों में उनके हित के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

23. रिक्तियों को भरना

(1) यदि किसी कारण से, अस्थायी अनुपस्थिति के अतिरिक्त, अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को उस रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त करेगी, और कार्यवाही उस चरण से आगे जारी रखी जा सकेगी जहाँ रिक्ति भरी गई है।

24. अध्यक्ष या सदस्यों को हटाना

(1) केन्द्रीय सरकार अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकती है यदि वह—

(a) दिवालिया घोषित किया गया हो; या

(b) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो जिसमें, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता शामिल हो; या

(c) शारीरिक या मानसिक रूप से अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो; या

(d) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो जिससे उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या

(e) उसने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया हो जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के विरुद्ध हो।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को उपधारा (1) के खंड (d) या (e) के आधार पर तब तक पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को किए गए संदर्भ पर, उच्चतम न्यायालय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जांच करके यह रिपोर्ट न दे दे कि ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को उक्त आधारों पर हटाया जाना चाहिए।

(3) केन्द्रीय सरकार उस अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकती है जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन उच्चतम न्यायालय को संदर्भ किया गया हो, जब तक कि केन्द्रीय सरकार को उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश पारित न कर दे।

25. अपीलीय अधिकरण का स्टाफ

(1) केन्द्रीय सरकार अपीलीय अधिकरण को ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जिन्हें वह उचित समझे।

(2) अपीलीय अधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी उसके अध्यक्ष के सामान्य पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

(3) ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जाएँ।

26. बहुमत द्वारा निर्णय

यदि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के बीच किसी विषय पर मतभेद होता है, तो वह विषय बहुमत की राय के अनुसार तय किया जाएगा।

27. सदस्य लोक सेवक होंगे

अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य तथा उसके अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे।

28. अधिकार क्षेत्र का वर्जन

किसी भी दीवानी न्यायालय को ऐसे किसी विषय में वाद या कार्यवाही ग्रहण करने का अधिकार नहीं होगा, जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, और न ही किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसे किसी कार्य के संबंध में निषेधाज्ञा जारी की जाएगी जो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसार किया गया हो या किया जाना हो।

अपीलीय अधिकरण को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपीलीय अधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

(2) अपीलीय अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए दीवानी न्यायालय की वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत किसी वाद के विचारण के समय निहित होती हैं, निम्नलिखित विषयों के संबंध में, अर्थात्—

- (a) किसी व्यक्ति को समन जारी करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना;
- (b) दस्तावेजों की खोज एवं प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा करना;
- (c) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;
- (d) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी सार्वजनिक अभिलेख या दस्तावेज अथवा उसकी प्रति को किसी कार्यालय से मंगाना;
- (e) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना;
- (f) अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करना;
- (g) किसी आवेदन को व्यतिक्रम के आधार पर खारिज करना या एकपक्षीय रूप से निर्णय देना;
- (h) व्यतिक्रम के कारण किसी आवेदन को खारिज करने के आदेश या एकपक्षीय आदेश को रद्द करना; तथा
- (i) कोई अन्य विषय जो निर्धारित किया जा सकता है।

(3) अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के प्रयोजन हेतु भी ऐसा माना जाएगा, और अपीलीय अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 तथा अध्याय XXVI के प्रयोजनों हेतु दीवानी न्यायालय माना जाएगा।

30. अपीलीय अधिकरण के समक्ष उपस्थिति
आवेदक या अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने मामले को प्रस्तुत करने हेतु किसी एक या अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत लेखाकार, विधि व्यवसायी या अपने किसी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिए—

- (a) “चार्टर्ड अकाउंटेंट” से अभिप्राय वह चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 2(1) के खंड (b) में परिभाषित है तथा जिसने उस अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो;
- (b) “कंपनी सचिव” से अभिप्राय वह कंपनी सचिव है जो कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2(1) के खंड (c) में परिभाषित है तथा जिसने उस अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो;
- (c) “लागत लेखाकार” से अभिप्राय वह लागत लेखाकार है जो कॉस्ट एंड वर्क्स

अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 2(1) के खंड (b) में परिभाषित है तथा जिसने उस अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो;

(d) "विधि व्यवसायी" से अभिप्राय किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता, वकील या अटॉर्नी है तथा इसमें प्रैक्टिस में कार्यरत प्लीडर भी सम्मिलित है।

31. उच्चतम न्यायालय में अपील

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1908 या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपीलीय अधिकरण के किसी आदेश (जो अंतरिम आदेश न हो) के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी, जो उक्त संहिता की धारा 100 में निर्दिष्ट आधारों में से एक या अधिक आधारों पर होगी।

(2) पक्षकारों की सहमति से दिए गए किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी परन्तु यह कि उच्चतम न्यायालय अपील को उक्त नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी स्वीकार कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण के कारण समय पर अपील प्रस्तुत करने से वंचित रहा था।

32. अपीलीय अधिकरण के आदेशों का निष्पादन

(1) इस अधिनियम के अधीन अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दीवानी न्यायालय की डिक्री के समान अपीलीय अधिकरण द्वारा निष्पादनीय होगा, और इस प्रयोजन के लिए अपीलीय अधिकरण को दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, अपीलीय अधिकरण अपने द्वारा पारित किसी आदेश को स्थानीय अधिकार क्षेत्र वाले किसी दीवानी न्यायालय को प्रेषित कर सकता है, और ऐसा दीवानी न्यायालय उस आदेश का निष्पादन उसी प्रकार करेगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री हो।

अध्याय v

धारा 33. प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट

प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जैसा निर्धारित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण की गतिविधियों और व्यय का विवरण होगा तथा उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

धारा 34. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान

केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद द्वारा विधि द्वारा किए गए आवश्यक विनियोजन के पश्चात्, प्राधिकरण को ऐसी धनराशि के अनुदान प्रदान कर सकती है जो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन एवं भत्तों तथा प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं पेंशन सहित प्रशासनिक व्यय के लिए आवश्यक हों।

धारा 35. प्राधिकरण के लेखे और लेखा परीक्षा

(1) प्राधिकरण समुचित लेखे एवं अन्य संबंधित अभिलेख रखेगा तथा वार्षिक लेखा विवरण

ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जैसा केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह से, निर्धारित करे।

(2) प्राधिकरण के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतराल पर की जाएगी जैसा वह निर्धारित करे।

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के लेखों की लेखा परीक्षा के संबंध में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार एवं प्राधिकार रखेगा जो सामान्यतः भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सरकारी लेखों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्राप्त होते हैं, और विशेष रूप से उसे पुस्तकों, लेखों, संबंधित वाउचरों एवं अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत कराने तथा प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) प्राधिकरण के लेखे, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किए जाएँगे, तथा उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएँगे और केन्द्रीय सरकार उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कराएगी।

धारा 36. केन्द्रीय सरकार को विवरण एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करना

(1) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय, प्रारूप एवं रीति में, जैसा निर्धारित किया जाए या जैसा केन्द्रीय सरकार निर्देश दे, ऐसे विवरण, प्रतिवेदन तथा अन्य विवरण उपलब्ध कराएगा, जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी विषय से संबंधित हों और जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर आवश्यक समझे।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रारूप और समय पर, जैसा निर्धारित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पिछले वर्ष की उसकी गतिविधियों का सारांश होगा, और उस रिपोर्ट की प्रतियाँ केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएँगी।

(3) उपधारा (2) के अंतर्गत प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कराई जाएगी।

अध्याय VI – अपराध

धारा 37. अपीलीय अधिकरण के आदेशों का पालन न करने पर दंड

जो कोई भी जानबूझकर अपीलीय अधिकरण के किसी आदेश का पालन करने में विफल रहता है, उसे एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और दूसरी या उसके बाद की किसी भी बार की पुनरावृत्ति पर दो लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, तथा निरंतर उल्लंघन की स्थिति में प्रत्येक दिन के लिए, जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दो हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकेगा।

धारा 38. अधिनियम या नियमों के उपबंधों के उल्लंघन पर दंड
जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम का उल्लंघन करता है, या उल्लंघन का प्रयास करता है, या उल्लंघन में सहायता करता है, उसे एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और दूसरी या उसके बाद की किसी भी बार की पुनरावृत्ति पर दो लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, तथा निरंतर उल्लंघन की स्थिति में प्रत्येक दिन के लिए, जब तक ऐसा डिफॉल्ट जारी रहता है, चार हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकेगा।

धारा 39. प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण के आदेश के पालन न करने पर दंड
यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण द्वारा अध्याय IV के अंतर्गत पारित किसी आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और दूसरी या उसके बाद की किसी भी बार की पुनरावृत्ति पर दो लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, तथा निरंतर डिफॉल्ट की स्थिति में प्रत्येक दिन के लिए, जब तक ऐसी विफलता जारी रहती है, चार हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकेगा।

धारा 40. कंपनियों द्वारा अपराध

(1) जहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए उत्तरदायी और उसके संचालन के लिए कंपनी को जिम्मेदार था, तथा कंपनी स्वयं, दोनों को उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा उन्हें दंडित किया जाएगा:

परन्तु यह कि इस उपधारा में किसी भी बात के होते हुए भी कोई ऐसा व्यक्ति दंड का भागी नहीं होगा यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरती थी।

(2) जहाँ किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति, मिलीभगत या उसकी लापरवाही के कारण हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा उसे दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—

(a) “कंपनी” से अभिप्राय किसी भी निगमित निकाय से है और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी शामिल है।

(b) फर्म के संबंध में “निदेशक” से अभिप्राय फर्म के भागीदार से है।

धारा 41. सरकारी विभागों द्वारा अपराध

(1) जहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किसी सरकारी विभाग या उसके किसी उपक्रम द्वारा किया गया है, वहाँ विभाग का प्रमुख या उस उपक्रम का प्रमुख उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा उसे दंडित

किया जाएगा, जब तक वह यह सिद्ध न कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने उसके रोकथाम के लिए समुचित सावधानी बरती थी।

(2) जहाँ किसी सरकारी विभाग या उसके उपक्रम द्वारा अपराध किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध किसी अधिकारी (विभाग या उपक्रम के प्रमुख को छोड़कर) की सहमति, मिलीभगत या लापरवाही के कारण हुआ है, तो ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा उसे दंडित किया जाएगा।

अध्याय VII - विविध

धारा 42. केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देश

(1) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर प्राधिकरण को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जिन्हें वह भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता के हित में आवश्यक समझे।

(2) पूर्वोक्त उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर लिखित रूप में दिए गए नीति संबंधी निर्देशों से आबद्ध होगा।

परन्तु यह कि ऐसे किसी निर्देश के दिए जाने से पूर्व, यथासंभव, प्राधिकरण को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) यह प्रश्न कि कोई विषय नीति संबंधी है या नहीं, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

धारा 43. अध्यक्ष, सदस्य एवं कर्मचारी लोक सेवक होंगे

प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य कर रहे हों या कार्य करने का दावा कर रहे हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे।

धारा 44. दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का वर्जन

किसी भी ऐसे विषय के संबंध में, जिसे इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, किसी भी दीवानी न्यायालय को अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

धारा 45. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के आशय से किए गए किसी कार्य के संबंध में केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा 46. कर से छूट

धन कर अधिनियम, 1957 या आयकर अधिनियम, 1961 में किसी बात के होते हुए

भी, प्राधिकरण अपनी आय, लाभ या लाभांश के संबंध में धन कर या आयकर देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

धारा 47. अपराधों का संज्ञान

कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि प्राधिकरण या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विधिवत अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत न की गई हो।

धारा 48. शक्तियों का प्रत्यायोजन

प्राधिकरण, लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अपनी ऐसी शक्तियों एवं कार्यों को (विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) अध्यक्ष, किसी सदस्य या अधिकारी को ऐसे शर्तों एवं सीमाओं के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

धारा 49. प्राधिकरण का अधिग्रहण/निलंबन

(1) जहाँ किसी भी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय हो—

(a) कि किसी गंभीर आपात स्थिति के कारण प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत उसे सौंपे गए कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या

(b) कि प्राधिकरण ने इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में या अपने कार्यों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में लगातार चूक की है और परिणामस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या प्रशासन में गिरावट आई है;

तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण को ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट हो और छह माह से अधिक न हो, अधिग्रहित (सुपरसिड) कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के अधिग्रहण (सुपरसिड) संबंधी अधिसूचना के प्रकाशन पर—

(a) सदस्य, अधिग्रहण की तिथि से अपने पद से पदमुक्त हो जाएंगे;

(b) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य, जब तक उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं हो जाता, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निर्वहन किए जाएंगे;

(c) प्राधिकरण की सभी संपत्ति, जब तक उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं हो जाता, केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में निर्दिष्ट अधिग्रहण अवधि की समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार—

(a) अधिग्रहण अवधि को ऐसे अतिरिक्त काल के लिए, जो छह माह से अधिक न हो, बढ़ा सकती है; या

(b) नए सिरे से नियुक्ति करके प्राधिकरण का पुनर्गठन कर सकती है।

परन्तु यह कि उपधारा (2) के खंड (a) के अधीन पद छोड़ने वाले व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं माने जाएंगे।

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार अधिग्रहण की अधिसूचना तथा उसके कारणों की एक प्रति संसद के दोनों सदनों के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत कराएगी।

धारा 50. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

इस अधिनियम के उपबंधों का प्रभाव किसी अन्य विधि में असंगत किसी बात के होते हुए भी लागू होगा।

धारा 51. नियम बनाने की शक्ति

(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त सामान्य शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकते हैं—

- (a) धारा 6 के अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;
- (b) धारा 6 के अंतर्गत पद की शपथ एवं गोपनीयता की शपथ का रूप एवं रीति;
- (c) धारा 7 के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा प्रयोग या निर्वहन की जाने वाली शक्तियाँ एवं कार्य;
- (d) प्राधिकरण की बैठकों को बुलाने और संचालित करने की रीति;
- (e) धारा 9 के अंतर्गत सचिव, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें;
- (f) धारा 13 के अंतर्गत सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विश्वसनीयता से संबंधित प्रदर्शन मानक।

(क) सेवा प्रदाता द्वारा उप-धारा (3) की धारा 14 के अंतर्गत रखी जाने वाली लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का विवरण;

(ख) वह प्रपत्र और रीति जिसमें रिटर्न प्रस्तुत किए जाएंगे तथा उसके लिए देय शुल्क, उप-धारा (3) की धारा 14 के अंतर्गत;

(ग) अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें, धारा 20 के अंतर्गत;

(घ) अपीलीय अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें, उप-धारा (3) की धारा 25 के अंतर्गत;

(ङ) वे विषय जिनके संबंध में प्राधिकरण को दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होंगी, उप-धारा (2) के खंड (क) की धारा 28 के अंतर्गत;

(च) वह प्रपत्र जिसमें प्राधिकरण अपना बजट तैयार करेगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उसे तैयार करने की समय-सीमा, धारा 33 के अंतर्गत;

(छ) वह प्रपत्र जिसमें उचित लेखा-पुस्तकें और अन्य संबंधित अभिलेख रखे जाएंगे तथा वार्षिक लेखा विवरण तैयार किया जाएगा, उप-धारा (1) की धारा 35 के अंतर्गत;

(ज) वह प्रपत्र, रीति और समय जिसमें प्राधिकरण द्वारा विवरण और प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे, उप-धारा (1) की धारा 36 के अंतर्गत;

(झ) वह प्रपत्र और रीति जिसमें वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उप-धारा (2) की धारा 36 के अंतर्गत;

(ञ) कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा निर्धारित किया जाना हो या किया जा सकता हो, जिसके संबंध में नियम बनाए जाने हैं।

धारा 52. विनियम बनाने की शक्ति

(1) प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए विनियम बना सकेगा।

(2) विशेष रूप से और उपर्युक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्—

(क) धारा 9 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विशेषज्ञों और पेशेवरों की नियुक्ति/संलग्नता की प्रक्रिया;

(ख) धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकरण की बैठकों के स्थान, समय तथा कार्य-संचालन की प्रक्रिया (जिसमें कोरम भी शामिल है);

(ग) कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक हो या किया जा सकता हो।

धारा 53. विधानों में संशोधन

इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधानों का उस अनुसूची में निर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा, और ऐसे संशोधन प्राधिकरण की स्थापना की तारीख से प्रभावी होंगे।

धारा 54. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जिन्हें वह किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समझे:

परंतु इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अंतर्गत किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा

अनुसूची (धारा 4 देखें)

विमान अधिनियम, 1934 में संशोधन

धारा 5, उप-धारा (2), खंड (ख) में, “वायु सेवाओं के परिचालकों के टैरिफ के पुनरीक्षण” से संबंधित शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“या वायु परिवहन सेवाओं के परिचालकों के टैरिफ का पुनरीक्षण [एयरपोर्ट्स इकनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट टैरिफ को छोड़कर]।”

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम, 1994 (1994 का 55) में संशोधन

धारा 22क में, “प्राधिकरण कर सकता है” से प्रारंभ होकर “के प्रयोजनों के लिए—” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“प्राधिकरण—

(क) इस संबंध में केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उन प्रस्थान करने वाले यात्रियों से, जो ऐसे विमानक्षेत्र से यात्रा प्रारंभ करते हैं जो एयरपोर्ट्स इकनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट विमानक्षेत्र नहीं है, विकास शुल्क ऐसी दर पर वसूल और एकत्र कर सकेगा, जो निर्धारित की जाए;

(ख) उन प्रस्थान करने वाले यात्रियों से, जो ऐसे प्रमुख विमानक्षेत्र (मेजर एयरपोर्ट) से यात्रा प्रारंभ करते हैं जो एयरपोर्ट्स इकनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (i) में निर्दिष्ट है, विकास शुल्क उस दर पर वसूल और एकत्र कर सकेगा, जो उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन निर्धारित की जाए;

और ऐसे शुल्क प्राधिकरण को जमा किए जाएंगे तथा इन्हें विमानक्षेत्र विकास के प्रयोजनों हेतु निर्धारित रीति से विनियमित और उपयोग किया जाएगा।”

टी. के. विश्वनाथन
भारत सरकार के सचिव